

कामलिपि नगर पंचायत जनकपुर रोड

नांक

दिनांक

प्रेषक : कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर पंचायत जनकपुर रोड

सेवा में

लेखा परीक्षा अधिकारी  
शहरी स्थानीय निकाय, सोशल सेक्टर-1  
कामलिपि, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा)  
बिहार पटना

विषय : — नगर पंचायत जनकपुर रोड के अंर्केंक्षण निरीक्षण प्रतिवेदन  
संख्या-06/12-13 (अवधि 2009-10 से 2010-11 तक) का  
अनुपालन प्रतिवेदन भेजने के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय पत्रांक 14317/939 दिनांक  
24.12.12 के द्वारा प्रेषित नगर पंचायत जनकपुर रोड के अंर्केंक्षण  
निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या-06/12-13 अवधि 2009-10 से 2010-11 तक  
के अंर्केंक्षण लेखा प्रतिवेदन के कंडिकाओं में उदात्त गमे आपत्तियों  
का अनुपालन प्रतिवेदन भेजने का निर्देश दिया गया है। तदनुसार  
अंर्केंक्षण प्रतिवेदन में उल्लिखित कंडिकाओं के सुभाव/आपत्तियों  
का अंर्केंक्षण के निर्देशानुसार अनुपालन प्रतिवेदन तैयार कर  
इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई भेजा जा रहा है।

विकास भाजन  
हो।  
कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर पंचायत जनकपुर रोड

शापांक 333। दिनांक — 09.09.14

प्रतिलिपि उपसचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार पटना  
को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई अग्रसारित।

कार्यपालक पदाधिकारी  
नगर पंचायत जनकपुर रोड  
24/9/14

30/10  
156  
24/9/14

1173

शुद्धियों का अनुपालन प्रतिवेदन

Para No.	Nature of objection	Compliance
1.	3. लेखा परीक्षा की गई है।	नगरपंचायत जनशुद्धियों के कार्यालय में दृष्टीगत कर्मियों को पद ही सरकार से स्वीकृत है जिन्होंने एक प्रमाण पत्र एक एक व्यक्ति के कार्यालय का पद है। कर्मियों की कमी के कारण था भिल्लेख, पंजी एवं सचिका का संधारण एक कर्मचारी से संभाला नहीं हो पाता है। अंशेक्षण प्रतिवेदन में उचित सूची परिशिष्ट-1 (एन) के अनुसार संधारण हेतु कर्मियों की संख्या बढ़ाने हेतु विभाग को पदों भी स्वीकृति देने हेतु लिखा गया है।
2.	4. लागू नई विधियाँ प्रस्तुत नहीं की गई हैं।	अंशेक्षण प्रतिवेदन संख्या 712 (09-10) में 11 कर्मियों के आतिरिक्त कर्मियों का अनुपालन दिया गया है। अन्य कर्मियों का अनुपालन प्रतिवेदन तैयार किया जाएगा है।
3.	5. अंशेक्षण की प्रमुख समस्याएँ	अंशेक्षण के दौरान अंशेक्षण के द्वारा दर्शाये गये निर्देशों के अनुसार कार्रवाई भी जारी है।
4.	6. आंतरिक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन	आंतरिक लेखा परीक्षा हेतु विद्या नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-77 के प्रावधानों के आलोक में कार्रवाई भी जारी है।
5.	7. वित्तीय अधिवृत्त	अंशेक्षण प्रतिवेदन में उल्लिखित अन्तःरेषका वार्षिक लेखा प्रतिवेदन वार्षिक रूप से तैयार कर लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जायेगा।
6.	8. बजट की स्थिति	नगरपंचायत का वार्षिक बजट अंशेक्षण के दौरान दिनांक 31/03/2011 को तैयार किया गया था। अंशेक्षण के द्वारा दर्शाये गये निर्देशालोक में आगामी वित्तीय वर्ष का बजट तैयार किया जायेगा।
7.	9. सरकारी अनुदान की स्थिति	नगरपंचायत कार्यालय में मुख्य क्लर्क में सरकारी अनुदान का इन्द्रज दिया जाता है तथा मदवाज सहायक रोड पंजी संधारित दिया जाता है। अंशेक्षण के निर्देशानुसार अगले वित्तीय वर्ष से अनुदान पंजी संधारित दिया जायेगा।
8.	10. गृहकर वसूली की स्थिति	नगरपंचायत में गृहकर एवं अल्प मूल्य की वसूली हेतु वैकल्पिक योजना का एक ही पद पर कर्मियों की संख्या है 11। वार्डों में वैकल्पिक वसूली कर्मी पड़ती है। कल्पतः वसूली का प्रतिशत निम्न है। वसूली में वृद्धि लाने हेतु तहसीलदार के पदों की स्वीकृति हेतु विभाग को लिखा गया है। अंशेक्षण के निर्देशानुसार वार्षिक मांग एवं वसूली पंजी संधारित करने हेतु वैकल्पिक योजना को आदेश दिया गया है जो अगले अंशेक्षण को दिखाना जायेगा।
9.	11. नहीं जमा। कम जमा राशि	अंशेक्षण के दौरान कम जमा राशि 1,47,471.00 रुपये को सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा 1,21,221.00 रुपये जमा कर दिया गया है। अनशेष राशि 26,250.00 रुपये को भी रामकुमार चौधरी सफाई जमादार को नगरपंचायत कोष में जमा करने का आदेश दिया गया है।
10.	12. नकशा पारित करवाये गये। मकान की वसूली	नगरपंचायत के अन्तर्गत पूर्व में बिना नकशा पारित करीये मकान बना लिये जा रहा है जिन्हें मकान का नकशा करवाने सम्बन्धी नगरपालिका अधिनियम 2007 के अन्तर्गत कार्रवाई भी जारी है।

नगरपालिका संख्या-6/12-13(अधिसूचना-200-10 से 2010-11 तक) का नगरपालिकापत्र  
 गुररोड का अनुपालन प्रतिवेदन

Para No.	Nature of objection	Compliance
13.	नकाशा जो नगरीय क्षेत्र शुल्क -	नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा निर्धारित मोबएलरावर शुल्क की नकली कृद्द टावर ले की गई है तथा ग्रन्थ मोबाइल टावर कंपनी को शुल्क जमा करने हेतु नोटिस पत्र आदि भेजे गये हैं एवं नकली की कालाई की जा रही है।
14.	सौरात को नगरपालिका अन्तर्गत घोषित	बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा-100 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रधानाधिकार, राजस्व एवं श्रमि सुधार विभाग, परगा के पत्रांक 561 (9) रा. दिनांक 7.12.10 के द्वारा सौरात (हाट, बाजार, जेला सहित) के नगर विकास में शामिल करने के निर्देशालोक में अंचल अधिकायी पुपरी के द्वारा अपने पत्रांक 777 दिनांक 31.12.10 से नगरपालिका के अन्तर्गत स्थित सौरात, पुपरी हाट सहित पुपरी एवं पोखरा आदि को नगरपालिका अन्तर्गत में हस्तान्तरित कर दिया गया। तदनुसार नगर पालिका द्वारा उक्त हाट से कौड़ी वकूली प्रायः कराई गई परन्तु अपर समाहती, सीतापदी के द्वारा अपने पत्रांक-49 दिनांक 8.1.11 से उक्त हाट से कौड़ी वकूली रोक दिया गया जिसके विरुद्ध नगरपालिका द्वारा माननीय उच्च न्यायालय पटना में C.W.P. No. 8962/2011 दायर किया गया है। उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा में नकली स्विकृत है।
15(क)	अपूर्ण भोजनाओं में लाभित आश्रित	नगरपालिका के द्वारा वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में ली गई 15 भोजनाओं में 6 अपूर्ण भोजनाओं को पूर्ण करने हेतु संवेदकों को सूचित किया गया है जिसे शीघ्र पूर्ण कर दिया जायेगा।
15(ख)	श्रमिकों की कटौती की	नगरपालिका द्वारा संवेदकों से कराई गई भोजनाओं के विषय में श्रमिकों को Labour Cess (श्रम उपकर) की कटौती नहीं की गई है। अधिकार के सुझाव के अनुसार श्रम उपकर की कटौती करने की कारवाई की जा रही है।
16.	निलम्ब से पूर्ण की गई शास्त्रिकाओं का रकम	नगरपालिका द्वारा संवेदकों से कराई गई भोजनाओं के प्रतिफल में हुए निलम्ब के लिये पदाधिकारी द्वारा अवधि निरंतर की अनुशंसा की गई है तथा जिन संवेदकों को अवधि विस्तार की अनुशंसा की गई है, उनसे निर्धारित दंड की शास्त्रिका जारी जा रही है।
17.	दैनिक वेतन भोगियों पर अनिर्धारित काम	नगरपालिका में सरकार से मात्र पांच सफाई मेटर का पद ही स्वीकृत है जबकि ग्यारह नार्डों में सफाई कार्य करना पड़ता है। इसी प्रकार नगरपालिका कर्मियों में भी वृत्तीय वर्गीय दो पद एवं चतुर्थ वर्गीय दो पद ही स्वीकृत हैं जिनके कार्यलय का सभी कार्य संभव नहीं हो पाता है। फलस्वरूप कर्मियों को देवते हुए दैनिक वेतन पर संविदा के आधार पर कर्मियों को रखकर कार्य कराया जाता है। विभाग से पदों की स्वीकृति हेतु बार-बार स्थायी भेजे गये हैं। परन्तु सरकार से पदों की स्वीकृति में विलम्ब रहित पर कर्मियों को रखकर कार्य कराया गया है।

01-005-2009-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000

अंकेक्षण प्रतिवेदन सीला- 6/12-13 (अवधि 2009-10 से 2010-11 तक) का अनुपालन प्रतिवेदन

No.	Nature of objection	Compliance
118.	स्वीकृत बल के विरुद्ध - - - भारतीय बल की स्थिति - - -	नगर विकास विभाग, निगर परना के पत्रांक 933 दिनांक 20.2.79 के द्वारा नगर पंचायत में कुल नौ पदों की स्वीकृति दी गई थी जिसमें एक प्रधान लघुपक, एक टैक्स दातोगा, एक लफाई जमादार एक आदेनापाल एवं पाँच लफाई मोहरर हैं। जबकि चालीस वर्षों के बाद भी विभाग से पदों की स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है। नगर पंचायत द्वारा पदों की स्वीकृति हेतु बारंबार समावेदन होते गये हैं। विभाग द्वारा स्वीकृत बल को तर्क संगत बनाने की कार्रवाई बल स्वी
17.	19. आग्रिम - - - - -	नगर पंचायत कार्यालय द्वारा सरकार से प्राप्त आर्षटन से योजनाओं का कार्य कराया जाता है। संवेदकों को दिमेगमे आग्रिम का समावेदन योजना के पूर्ण होने पर किया जा है। इसके आतिरिक्त अन्य कार्यों के लिये दिमे गये आग्रिम को समावेदन की कार्रवाई भी जारी है। अंकेक्षण के द्वारा समावेदन निदेशों के अनुसार आग्रिम पंजी का संघार कर अगले अंकेक्षण को दिवाया जायेगा।

200  
30/11/13  
30/11/13  
नगर विकास विभाग

200  
30/11/14  
30/11/14  
नगर विकास विभाग  
पदाधिकारी  
नगर पंचायत  
धौबी